राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामदेव बनाम भूरी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/03/2026	1038/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/03/2026 को पेश हो	 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
18/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2025 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 321 के आराजी खसरा नम्बर 1375 रकबा 2.77 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.77 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगलभरडा, पटवार हल्का नांगलभरडा, भू.अ.नि. क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	बहस के माध्यम से उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा किये जाने की अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है	विधि के प्रावधानों के अनुसार भी उक्त अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होता है	सहकाश्तकार/खातेदारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर लम्बित रखा जाना राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामदेव बनाम भूरी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायोचित्त नही समझा जाता है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है, ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी मियाद बाहर धारित कर एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर